मुख्य परीक्षा

भारत में जेलें रिपोर्ट-2025

संदर्भ

सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP), जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आंतरिक शोध केंद्र है, ने भारत में जेलें रिपोर्ट-2025 प्रकाशित की।

भारतीय जेलों में प्रमुख मुद्दे -

- **प्रशासन:**
    - **जेल प्रशासन संविधान की राज्य सूची (सूची II, सातवीं अनुसूची) के अंतर्गत आता है, जिसके कारण राज्यों में प्रशासन में भिन्नताएँ होती हैं।**
    - भारत कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों का पालन करता है, जिन्हें नेल्सन मंडेला नियम के रूप में जाना जाता है, जो जेल प्रणालियों के मानवीकरण पर जोर देते हैं।
- **अत्यधिक भीड़:** भारत में **जेल अधिभोग दर (Occupancy Rate) 131.4%** है, तथा लगभग 75% कैदी विचाराधीन हैं।
    - खुली जेलों का काफी कम उपयोग किया जाता है, केवल 74 प्रतिशत अधिभोग दर्ज किया जाता है।
- **रूढ़िवादिता और श्रम पदानुक्रम:** कई जेल नियमावलियाँ अभी भी स्वच्छता और संरक्षण कार्य को "नीच" या "अपमानजनक" बताती हैं, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक पदानुक्रमों को बल मिलता है।
- **जाति-आधारित भेदभाव:** कुछ नियमावलियाँ जातिगत पहचान के आधार पर जेलों में कार्य सौंपना जारी रखती हैं, जिसे सुकन्या शांता मामले में असंवैधानिक माना गया था।
- **वेतन असमानताएँ:** राज्यों में जेलों में वेतन में व्यापक अंतर होता है, मिज़ोरम में यह 20 रुपये से लेकर कर्नाटक में 524 रुपये तक है, जो अक्सर न्यूनतम वेतन स्तर से भी कम होता है।
- **महिला कैदियों से संबंधित मुद्दे:** जेल नियमावलियों में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है और अक्सर उन्हें खाना पकाने जैसे घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता है, जिससे उन्हें व्यावसायिक अवसरों तक समान पहुँच से वंचित होना पड़ता है।
- **अप्रभावी कानूनी सहायता:** अपर्याप्त भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के कारण कैदियों को निम्न-गुणवत्ता वाली कानूनी सहायता मिलती है।

आगे की राह -

- जेल नियमावली में "नीच" और "अपमानजनक" जैसे भेदभावपूर्ण शब्दों को प्रतिस्थापित करना।
- जाति-आधारित कार्यों को समाप्त करने के लिए कार्य आवंटन हेतु एक चक्रीय प्रणाली लागू करना।
- हर तीन साल में कैदियों के वेतन में आवधिक संशोधन सुनिश्चित करना।
- विचाराधीन कैदियों के मामलों को "तत्काल" श्रेणी में रखकर उन्हें प्राथमिकता देना।
- ई-जेल पहलों को मज़बूत करने के लिए अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा अपडेट सक्षम करना।

स्रोत: लाइव लॉ

प्रारंभिक परीक्षा

हेली गुब्बी ज्वालामुखी

संदर्भ

हेली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों में पहली बार फट गया।

हेली गुब्बी ज्वालामुखी के बारे में -

- **अवस्थिति:** उत्तरपूर्वी इथियोपिया, इरीट्रिया की सीमा के करीब।
- **प्रकार:** शील्ड ज्वालामुखी।
- **विस्फोट के संभावित कारण:**
    - टेक्टोनिक परिस्थितियाँ—पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट क्षेत्र में होना, जहाँ अफ्रीकी और अरबी प्लेटें एक-दूसरे से दूर जा रही हैं—ऐसी गतिविधि के लिए संरचनात्मक संदर्भ (रिफ्ट फॉल्टिंग, फिशर) प्रदान करती हैं।
    - विशेषज्ञों का सुझाव है कि उथले मैग्मा कक्ष में नए, अधिक गर्म मैग्मा के पुनर्भरण से दबाव और गैस बुलबुले बनने में वृद्धि हुई, जिसने ऊपर की ओर उठान और विस्फोटक रूप से निकलने को प्रेरित किया।
- **हाल की घटनाएँ:** सबांकाया (पेरू, 2025), रुआंग (इंडोनेशिया, 2025), किलाउआ (यूएसए, 2024), एटना (इटली, 2025), आदि।

शील्ड ज्वालामुखी क्या है?

- एक प्रकार का ज्वालामुखी है जिसकी **चौड़ी, धीरे-धीरे ढलान वाली संरचना** होती है, जो मुख्यतः **कम श्यानता (बहुत तरल) वाले बेसाल्टिक लावा से बनती है, जो ठंडा होने से पहले लंबी दूरी तक बह सकता है।**

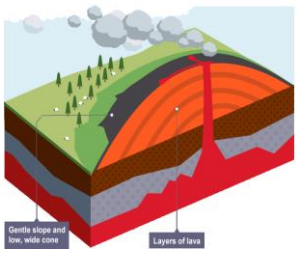

- ये संरचनात्मक प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं।

स्रोत: द हिंदू

मतुआ समुदाय

संदर्भ

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक मुख्यालय का दौरा करेंगी।

मतुआ समुदाय के बारे में -

- **मतुआ आंदोलन बंगाल क्षेत्र में (19वीं शताब्दी में) हरिचंद ठाकुर (1812-1878) के नेतृत्व में शुरू हुआ।**
- यह समुदाय बंगाल में नामशूद्र जाति (अनुसूचित जाति) से निकटता से जुड़ा हुआ है।
- 1947 (विभाजन) और बाद में बांग्लादेश मुक्ति (1971) के बाद, मतुआ समुदाय के कई सदस्य (तत्कालीन) पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से भारत आए और बंगाल में शरण और बसने की तलाश की।
- हरिचंद ठाकुर का जन्मस्थान ओरकांडी (बांग्लादेश) में है। भारतीय पक्ष के लिए मतुआ महासंघ का मुख्यालय ठाकुरनगर (पश्चिम बंगाल) में है।
- कई सदस्य अभी भी दस्तावेज़ीकरण और नागरिकता संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं: उचित अभिलेखों का अभाव, कुछ मामलों में अभी भी उन्हें "राज्यविहीन" या "अलिखित" माना जाता है।

स्रोत: द हिंदू

चंद्रयान-5/ल्यूपेक्स मिशन

संदर्भ

हाल ही में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने चंद्रयान-5/लुपेक्स मिशन की स्थिति की समीक्षा करने और भविष्य के अवसरों का पता लगाने के लिए दौरा किया।

चंद्रयान-5/ल्यूपेक्स मिशन के बारे में -

- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के बीच एक सहयोगी चंद्र मिशन है।
    - JAXA रोवर का विकास करेगा, और ISRO लैंडर प्रणाली का डिज़ाइन तैयार करेगा।

- इसे 2027-28 के दौरान लॉन्च किया जाएगा और इसे जापान के H3 लॉन्च वाहन पर ले जाया जाएगा।
- **पेलोड:** मिशन सात वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
    - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा प्रदान किया गया एक मास स्पेक्ट्रोमीटर।
    - नासा द्वारा प्रदान किए गए न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर।
- **उद्देश्य:**
    - चंद्र जल के वितरण और विस्तार का मानचित्रण।
    - चंद्र रेगोलिथ में ड्रिलिंग करके जल की मात्रा, अवस्था और संरचना की जाँच करना।
    - अनेक स्पेक्ट्रोमीटरों और सेंसर प्रणालियों के माध्यम से यथास्थान वैज्ञानिक मापन करना।

स्रोत: द हिंदू

प्रजातियों की उत्पत्ति

संदर्भ

24 नवंबर को चार्ल्स डार्विन की मौलिक कृति **ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ या प्रजातियों की उत्पत्ति**(1859) के प्रकाशन की वर्षगांठ है, जिसने आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी।

डार्विन की कृति प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में -

- प्रजातियों की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि प्रजातियाँ प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से समय के साथ विकसित होती हैं।
- **मुख्य अवधारणाएँ:**
    - **प्राकृतिक चयन:** डार्विन के सिद्धांत का केंद्रीय विचार - जीवित रहने के लिए लाभदायक लक्षणों वाले जीवों के प्रजनन करने और उन लक्षणों को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना होती है।
    - **प्रजातियों के भीतर भिन्नता:** एक ही प्रजाति के जीवों में प्राकृतिक विविधताएं होती हैं, और कुछ विविधताएं अनुकूली लाभ प्रदान करती हैं।
    - **अस्तित्व के लिए संघर्ष:** जीवित रहने की परिस्थितियों तुलना में अधिक जीव पैदा होते हैं, जिससे सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है।
    - **योग्यतम की उत्तरजीविता:** एक वाक्यांश जिसे बाद में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जिसका अर्थ है कि जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं और प्रजनन करते हैं।
    - **संशोधन के साथ अवतरण (Descent with Modification):** पीढ़ियों से, छोटे परिवर्तन जमा होते जाते हैं, जिससे नई प्रजातियों का उद्भव होता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

'ऑरामाइन O'

संदर्भ

भारत में अनधिकृत सिंथेटिक रंगों से खाद्य पदार्थों में मिलावट की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें ऑरामाइन O एक प्रमुख दोषी है।

ऑरामाइन O के बारे में -

- **यह रेत जैसा दिखने वाला एक पीला, गंधहीन क्रिस्टलीय या परतदार पदार्थ है।**
- **इसका उपयोग आमतौर पर कागज़, कपड़ा और चमड़ा उद्योगों में रंग के रूप में किया जाता है, और यह एक एंटीसेप्टिक और कवकनाशी के रूप में भी काम करता है।**
- इस यौगिक को भारत, यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य रंग के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- इसके सेवन या संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - यकृत और गुर्दे की क्षति
    - प्लीहा का बढ़ना
    - उत्परिवर्तनीय प्रभाव जो आनुवंशिक सामग्री को बदल सकते हैं
    - संभावित कैंसरकारी प्रभाव
- कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (IARC) ऑरामाइन O को मनुष्यों के लिए संभवतः कैंसरकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत करती है।

स्रोत: द हिंदू

GAVI (ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन)

संदर्भ

Gavi और UNICEF ने R21/Matrix-M **मलेरिया वैक्सीन** की वैश्विक उपलब्धता का विस्तार करने के उद्देश्य से एक नई **साझेदारी** में प्रवेश किया है।

GAVI के बारे में -

- **गठन:** कम आय वाले देशों में टीकाकरण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में 2000 में स्थापित।
- **सदस्यता:** भारत एक सहभागी सदस्य है; हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जून 2025 से वित्तीय सहायता वापस ले ली है।
- **अधिदेश:** बच्चों के बीच टीकाकरण कवरेज बढ़ाने और राष्ट्रीय टीकाकरण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए कार्य करना।
- **प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर 1.2 बिलियन से अधिक बच्चों की सुरक्षा और 20 मिलियन से अधिक मौतों को रोकने में योगदान दिया है।
- **बाजार और वित्तपोषण भूमिका:**
    - बाजार को आकार देने वाली रणनीतियों के माध्यम से वैक्सीन की कीमतों को कम करने पर बातचीत करता है।
    - टीकाकरण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए IFFIm (टीकाकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा) जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्रों का उपयोग करता है।

स्रोत: द हिंदू

आपदा सूचना प्रबंधन विकास के लिए एशियाई और प्रशांत केंद्र (APDIM)

संदर्भ

समावेशी आपदा जोखिम डेटा शासन पर **APDIM** का 10वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

APDIM के बारे में -

1. **स्थापना**:2015
2. **प्रकार**: एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UN ESCAP) के तहत क्षेत्रीय संस्थान
3. **मुख्यालय**: तेहरान, ईरान
4. **शासी परिषद:** इसमें ईरान सरकार के साथ-साथ तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए आठ ESCAP सदस्य देश शामिल हैं
5. **अधिदेश:** बेहतर डेटा और सूचना प्रबंधन के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को बढ़ाने में एशिया-प्रशांत देशों की सहायता करना
6. **महत्वपूर्ण कार्य:**
    - डेटा और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है
    - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्षमताओं का निर्माण करता है
    - जोखिम मूल्यांकन और विश्लेषण करता है
    - पूर्व चेतावनी प्रणालियों और प्रतिक्रिया समन्वय को मज़बूत करता है
    - आपदा-पश्चात पुनर्प्राप्ति योजना का समर्थन करता है
    - आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है

स्रोत: पीआईबी

पैरासोशल(Parasocial)

संदर्भ

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए 'पैरासोशल' को अपने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है।

पैरासोशल क्या है?

- यह एक मनोवैज्ञानिक दशा को परिभाषित करता है जहां एक व्यक्ति किसी प्रमुख व्यक्ति - जैसे कि एक सेलिब्रिटी, एक काल्पनिक चरित्र, या एक डिजिटल व्यक्तित्व - के साथ एक वास्तविक व्यक्तिगत संबंध महसूस करता है, जिसे वे वास्तव में वास्तविक जीवन में नहीं जानते हैं।

स्रोत: टीओआई

अनुच्छेद-240

संदर्भ

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, भारत के **संविधान के अनुच्छेद 240** में संशोधन करना चाहता है ताकि **केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़** को इसके दायरे में लाया जा सके।

अनुच्छेद 240 के बारे में -

- यह राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की "शांति, प्रगति और सुशासन" के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- इन नियमों का संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव होता है और ये उन क्षेत्रों पर लागू मौजूदा कानूनों को संशोधित या निरस्त कर सकते हैं।

संविधान संशोधन के बारे में -

- अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि संसद अपनी "संविधानिक शक्ति" का प्रयोग करते हुए, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधित कर सकती है।
- **संशोधन के लिए बहुमत के प्रकार:**
    - ऐसे संशोधन जिनके लिए संसद के **केवल विशेष बहुमत** की आवश्यकता होती है।
    - ऐसे संशोधन जिनके लिए **विशेष बहुमत + राज्य अनुसमर्थन** (संघ/संघीय-संरचना परिवर्तनों के लिए) की आवश्यकता होती है।
    - अन्य परिवर्तन (उदाहरण के लिए, नए राज्यों का निर्माण, आदि) के लिए **सरल बहुमत** की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे **सख्त अनुच्छेद 368** की परिभाषा से बाहर हैं।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** में यह निर्णय दिया गया था कि यद्यपि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर **वह संविधान की "मूल संरचना" (basic structure) को बदल नहीं सकती है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

संदर्भ

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने पूर्वोत्तर में कार्गो आवाजाही, यात्री परिवहन और नदी-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए।

IWAI के बारे में -

- **गठन**: 1986
- **नोडल मंत्रालय:** बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय
- **मुख्यालय:** नोएडा, उत्तर प्रदेश।
- **भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:**
    - नेविगेशन और शिपिंग के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की योजना, विकास और विनियमन।
    - ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग, नदी प्रशिक्षण, टर्मिनलों के विकास और नेविगेशन सहायता की स्थापना सहित बुनियादी ढांचे के कार्यों को निष्पादित करना।
    - अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के माध्यम से कार्गो और यात्रियों के सुरक्षित और कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान करना।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के बाद, कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में नामित किया गया और चरणबद्ध विकास के लिए IWAI के अधिकार क्षेत्र में रखा गया।

स्रोत: डीडी न्यूज

मेरठ बिगुल

संदर्भ

मेरठ में बने बिगुलों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग **दिया गया है।**

मेरठ बिगुल के बारे में -

- **बिगुल एक पीतल का वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग आमतौर पर सशस्त्र बलों में संकेतों, समारोहों, परेड और रेजिमेंटल बैंड के लिए किया जाता है।**
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** मेरठ में बिगुल बनाना **19वीं सदी के अंत** में शुरू हुआ, जो ब्रिटिश काल के दौरान भारत की आधुनिक सैन्य संस्कृति के विकास के साथ मेल खाता था।